



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26]
No. 26]

नई दिल्ली, जून 20—जून 26, 2010, शनिवार/ज्येष्ठ 30—आषाढ़ 5, 1932
NEW DELHI, JUNE 20—JUNE 26, 2010, SATURDAY/JYAISTHA 30—ASADHA 5, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 2010

सा.का.नि. 104.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग (केयर टेकर) भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (केयर टेकर) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग (केयर टेकर) भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी,
अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
-----------	----------------	----------	---------------------------------	---------------------	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
केयर टेकर	02* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	25 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है।)	नहीं

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य, 2. स्वच्छता विज्ञान या लोक स्वास्थ्य विज्ञान में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या विद्युत/सिविल इंजीनियरी/स्वच्छता विज्ञान इंजीनियरी में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, और	नहीं	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

3. कार्यालय भवनों के अनुरक्षण में डिप्लोमा धारकों की दशा में दो वर्ष और प्रमाणपत्र धारकों की दशा में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है/हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड—1, 5200-20200 रु. में ग्रेड वेतन 2400 रु. सहित या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या
- (iii) जिन्होंने वेतन बैंड—1, 5200-20200 रु. में ग्रेड वेतन 2000 रु. सहित या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दस वर्ष नियमित सेवा की है, या
- (iv) जिन्होंने वेतन बैंड—1, 5200-20200 रु. में ग्रेड वेतन 1900 रु. सहित या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तेरह वर्ष नियमित सेवा की है, और
- (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

वेतन बैंड—1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. के ऐसे विभागीय सहायक केयर टेकर के संबंध में भी जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर तेरह वर्ष की सेवा की है, अन्य बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि पद पर विभागीय अभ्यर्थी का चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या कुछ अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना किए जाने के प्रयोजन के लिए तारीख। जनवरी, 2006/वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनु रूप लागू किए गए ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी। प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा तारीख। जनवरी, 2006/वह तारीख जबसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए इसके उन मामलों को छोड़कर, जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान का एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलन किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन्हीं पदों के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता।

1. अपर सचिव (प्रशासन, नियुक्तियां, सामान्य, सेवा-1 और भर्ती नियम) —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) —सदस्य
3. उप-सचिव (सामान्य) —सदस्य

[फा. सं. 39021/09/2009-स्थापना (ख)]”

राकेश मोज़ा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3 तारीख 6 जनवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 18th June, 2010

G. S. R. 104.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission (Caretaker) Recruitment Rules, 2000 namely :—

1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Caretaker) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule to the Union Public Service Commission (Caretaker) Recruitment Rules, 2000, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band, and Grade Pay /Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
--------------	-----------------	----------------	------------------------------------	--	-------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Caretaker	02*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C' Non-Gazetted. Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2800	Not applicable	Upto 25 years (relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No

Educational and other qualifications required for Direct Recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
(1) Matriculation from a recognised Board/University or equivalent;	No	Two years for direct recruits
(2) Diploma/Certificate in Sanitary or Public Hygiene or Diploma/Certificate in Electrical/Civil Engineering/ Sanitary Engineering; and		

- (3) Two years' experience in case of Diploma holders and five years' in case of Certificate holders in maintenance of office buildings.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)

(12)

Promotion/Deputation, failing which by direct recruitment.

Deputation/Promotion :

Officers under the Central Government or State Government,—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
 (ii) with five years' regular service in posts in the scale of PB-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent; or
 (iii) with ten years' regular service in posts in the scale of PB-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2000 or equivalent; or
 (iv) with thirteen years' regular service in posts in the scale of PB-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900 or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

The Departmental Assistant Caretaker in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900 having thirteen years service in the grade on regular basis, shall also be considered along with the outsiders. In case the Departmental candidate is selected to the post, it will be deemed to have been filled by promotion.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4 : For the purpose computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendation of the Commission. For the purpose appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any ungradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Additional Secretary (Administration, Appointments, General, Services-I and Recruitment Rules) —Chairman 2. Joint Secretary (Administration) —Member 3. Deputy Secretary (General) —Member	Not applicable

[F. No. 39021/09/2009-Est. (B)]
 RAKESH MOZA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 3, dated the 6th day of January, 2001.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 जून, 2010

सा.का.नि. 105.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1987 और पर्यावरण और वन मंत्रालय (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1991 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण) श्रेणी-1, अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण) श्रेणी-11 और अनुसंधान सहायक (पर्यावरण) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—